

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

क्रमांक :-रीडर/2026/ 57

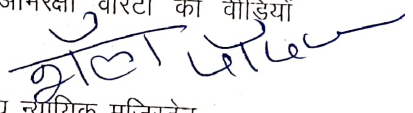
दिनांक :-19.08.2026

-:: कार्यालय - आदेश ::-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के पत्र क्रमांक Reg-CPC/ ECourts/2016/599 Dated 09.06.2016 एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के कार्यालय आदेश स्था./2021/104 दिनांक 03.07.2021 के द्वारा धौलपुर न्याय क्षेत्र के मुख्यालय स्थित सेशन न्यायालय, विशेष न्यायालयों, अपर सेशन न्यायालयों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों के इंतजार नतीजा में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे मुलजिमान की विडियो कान्फेसिंग के माध्यम से न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ाने के लिये सुश्री कनक बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2, धौलपुर को दिनांक 01.09.2026 से दिनांक 31.10.2026 तक दो माह सितम्बर 2026 व अक्टूबर 2026 के लिये समय सुबह 12.00 ए.एम. से 1.50 पी.एम. के लिये अधिकृत किया जाता है।

सुश्री कनक बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2, धौलपुर के उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की सूरत में उक्त कार्य हेतु श्रीमती नेहा धाकड न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर को और उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में श्रीमती उर्वी पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, धौलपुर को और उनके भी अनुपस्थिति की सूरत में श्री ईशपाल न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-03, धौलपुर को अधिकृत किया जाता है। उक्त सभी के किसी भी प्रकार के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर द्वारा उक्त कार्य संपादित किया जावेगा।

नोट :- सभी न्यायालयों के रीडर उन प्रकरणों का न्यायिक अभिरक्षा वारंट जिसमें नतीजा पेश नहीं हुआ है, को माह सितम्बर 2026 व अक्टूबर 2026 में समय 12.00 पी.एम. तक वीडियो कान्फेसिंग कक्ष में पहुँचावें तथा बाद कार्यवाही उक्त न्यायिक अभिरक्षा वारंटों को वीडियो कान्फेसिंग कक्ष से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

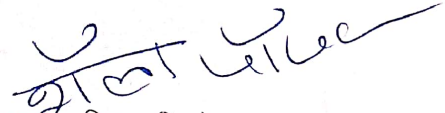

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर।

क्रमांक :-रीडर/2026/ 885-889

दिनांक :-19.08.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
2. श्रीमान् समस्त पीठासीन अधिकारीगण, धौलपुर न्यायक्षेत्र, धौलपुर।
3. अधीक्षक, जिला कारागृह, धौलपुर।
4. सर्वर रूग, धौलपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये।
5. आदेश पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर।